

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 91/2016

दायरी दिनांक: 29.08.2016

उनवान

1. माना पिता गोपी जाति गुर्जर निवासी चैनपुरिया (ठिकरिया) तहसील माण्डलगढ़।

—वादीया

बनाम

1. सज्जनबाई पत्नि भंवरलाल जाति कुमावत निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
2. भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति कुमावत निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री उदय लाल गुर्जर (अधिवक्ता वादी)
2. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रतिवादी)


वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक : 28.10.2020.

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाता है कि ग्राम चैनपुरिया उर्फ ठिकरिया पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 338/1 रकबा 1 बीघा को वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शों की तरमीम अनुसार वादी को एवं जमाबन्दी व वर्तमान नक्शा तरमीम अनुसार प्रतिवादी के आराजी संख्या 562/338 की भूमि का का कब्जा सुपुर्द किया जावे। हर्जा खर्चा मुकदमात फरिकेन अपना अपना वहन करें।


आदेश आज 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		




उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।